क्रम संख्या–40 (क)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, शुक्रवार, 14 मार्च, 2008 ई0
फाल्गुन 24, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–3

संख्या 258/XXXI(3)/2008–ले0–23/2006
देहरादून, 14 मार्च, 2008

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0 प0 नि0–03

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो की विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग सेवा नियमावली, 2008

भाग – एक सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग सेवा नियमावली, 2008 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह "क", "ख" और समूह "ग" के पद समाविष्ट है।

परिभाषाएं

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में :-

(क) किसी पद के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से प्रमुख लेखाकार एवं प्रमुख कोषाध्यक्ष, मुख्य लेखाकार एवं मुख्य कोषाध्यक्ष के पदों के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव/सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग और सेवा में अन्य पदों के सम्बन्ध में एक अधिकारी जो सचिवालय प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव (अधिष्ठान का प्रभारी) से निम्न स्तर का न हो, अभिप्रेत है ;

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये ;

(ग) "आयोग" से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है ;

(ङ) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है ;

(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है ;

(छ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ज) "प्रमुख सचिव/सचिव" से सचिवालय प्रशासन विभाग में सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव अभिप्रेत है ;

(झ) "सेवा" से उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग सेवा अभिप्रेत है ;

(ञ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हों तो सरकार द्वारा जारी किये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार की गयी हो ;

(ट) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है ;

भाग – दो संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जायेगी।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या निम्नवत् होगी :–

कम सं0	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1.	प्रमुख लेखाकार एवं प्रमुख कोषाध्यक्ष	---	04	04
2.	मुख्य लेखाकार एवं मुख्य कोषाध्यक्ष	---	07	07
3.	लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष	---	13	13
4.	सहायक लेखाकार	–	22	22

परन्तु :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग – तीन – भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(एक) प्रमुख लेखाकार एवं प्रमुख कोषाध्यक्ष

मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य लेखाकार एवं मुख्य कोषाध्यक्ष में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(दो) मुख्य लेखाकार एवं मुख्य कोषाध्यक्ष

मौलिक रूप से नियुक्त लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पात्रता के क्षेत्र में विस्तार केवल मौलिक रूप से नियुक्त लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष को सम्मिलित करने के लिये किया जा सकता है।

(तीन) लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष

मौलिक रूप से नियुक्त सहायक लेखाकारों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पात्रता के क्षेत्र में विस्तार केवल मौलिक रूप से नियुक्त सहायक लेखाकारों को सम्मिलित करने के लिये किया जा सकता है।

(चार) सहायक लेखाकार

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों, जो उत्तराखण्ड राज्य के निवासी हों, के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग – चार– अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या,
(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसमें भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा (म्यांमार), श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तनजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रवजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी 'ख' या 'ग' के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ;

परन्तु यह और कि श्रेणी 'ख' के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी 'ग' का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक योग्यता

8. सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं:–

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखा कर्म में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता, और

(दो) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का ज्ञान।

अधिमानी अर्हताएं

9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :–

(एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या,

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञप्ति की जायें, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो ;

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके, नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय अधिकारी द्वारा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नही होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो;

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संम्भावना हो, किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड दो भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें;

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग – पांच–भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों की अवधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना उसे दी जायेगी।

सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती की प्रकिया

15. (1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में अधिसूचित प्रपत्र में अंकित किये जायेंगे।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

(3) शासन द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित पाठ्यक्रम में उल्लिखित विषयों की प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की उनकी योग्यता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी–जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त किए हो तो अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

प्रमुख लेखाकार एवं प्रमुख कोषाध्यक्ष, मुख्य लेखाकार एवं मुख्य कोषाध्यक्ष तथा लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) प्रमुख लेखाकार एवं प्रमुख कोषाध्यक्ष, मुख्य लेखाकार एवं मुख्य कोषाध्यक्ष तथा लेखाकर एवं कोषाध्यक्ष के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(1) प्रमुख सचिव/ सचिव,
सचिवालय प्रशासन विभाग — अध्यक्ष

(2) प्रमुख सचिव/ सचिव, कार्मिक
द्वारा नामित एक अधिकारी जो संयुक्त
सचिव स्तर से निम्न न हो — सदस्य

(3) प्रमुख सचिव/ सचिव, सचिवालय
प्रशासन विभाग द्वारा नामित एक
अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर
से निम्न न हो — सदस्य

किन्तु, यदि उपरोक्तानुसार गठित चयन समिति में अध्यक्ष अथवा सदस्य में से कोई भी अनुसूचित

जाति/जनजाति का नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति में से किसी एक अधिकारी को जो संयुक्त सचिव स्तर से निम्न न हो, सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003 के अनुसार पात्रता सूची तैयार करेगा।

स्पष्टीकरण :– इस नियम के उप नियम (2) में संदर्भित नियमावली में :–

(क) "रिक्तियों की संख्या" का तात्पर्य भर्ती के वर्ष के प्रारम्भ के समय विद्यमान या भर्ती के वर्ष के दौरान होने वाली मौलिक, अस्थाई या स्थानापन्न रिक्तियों की कुल संख्या से है,

(ख) समस्त प्रकार की रिवितयों के लिए केवल एक पात्रता सूची तैयार की जायेगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की पात्रता सूची को उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझें जाये, चयन समिति के समक्ष रखेगा और उसे भिन्न–भिन्न प्रकार की रिक्तियों की संख्या भी सूचित करेगा।

(4) चयन समिति उप नियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(5) चयन समिति चयन किए गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग – छः– नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

17. (1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थित, नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किए जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठताक्रम में किया जाएगा, जैसी कि यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जाय।

परिवीक्षा

18. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय;

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो, कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम 3 के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की गणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

19. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि :-

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,
(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और
(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहां उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

20. किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग – सात – वेतन इत्यादि

वेतनमान

21. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिया गया है :–

क्रम सं0	पदनाम	वेतनमान (रुपये में)
1.	सहायक लेखाकार	4500–125– 7000
2.	लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष	5500–175– 9000
3.	मुख्य लेखाकार एवं मुख्य कोषाध्यक्ष	7450–225–11500
4.	प्रमुख लेखाकार एवं प्रमुख कोषाध्यक्ष	10000–325–15200

परिवीक्षा अवधि में वेतन

22. (1) मूल नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि एक वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जाये जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी कर दिया गया हो;

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्त प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत मूल नियम द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत् सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग – आठ – अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

23. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहें, लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

24. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत् सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा शर्तों में शिथिलता

25. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है;

परन्तु यह कि जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति

26. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिसका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

एम0एच0 खान,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 258/XXXI (3)/2008-A-23/2006, dated August 27, 2007 for general information :

No. 258/XXXI (3)/2008-A-23/2006
Dated Dehradun, March 14, 2008

NOTIFICATION
Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Secretariat Accounts Cadre Service :-

THE UTTARAKHAND SECRETARIAT ACCOUNTS CADRE SERVICE RULES, 2008

Part - 1 - General

Short title and Commencement.

1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Secretariat Accounts Cadre Service Rules, 2008.
(2) They shall come into force at once

Status of the Service

2. The Uttarakhand Secretariat Account Cadre Service is a State service comprising Group 'A' , 'B' and Group 'C' posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(a) 'Appointing Authority' in respect of the post of Principal Accountant and Principal Treasurer, Chief Accountant and Chief Treasurer means the Principal Secretary/Secretary to Government Secretariat Administration Department and in respect of other post in the Service means not below to the Post (Establishment Incharge) of Joint Secretary ;
(b) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part-II of the Constitutions ;
(c) 'Commission' means the Uttarakhand Public Service Commissions ;
(d) 'Constitution' means the Constitution of India ;
(e) 'Government' means the State Government of Uttarakhand
(f) 'Governor' means the Governor of Uttarakhand ;
(g) 'Member of the Service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre to the Service ;
(h) 'Principal Secretary/Secretary' means the Principal Secretary/Secretary of the Government in the Secretariat Administration Department ;
(i) 'Service' means the Uttarakhand Secretariat Accounts Cadre Service ;
(j) 'Substantive appointment' means an appointment not being an ad-hoc appointment, on a post in the cadre of the Service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government ;
(k) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART - II- CADRE

Cadre of Service

4. (1) The strength of the service and of each category of posts there in shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The Strength of the Service and of each category of posts there in shall, until orders varying the same are passed under sub rule(1), be given as under :-

S.No.	Name of the post	No. of Post		
		Permanent	Temporary	Total
1.	Principal Accountant cum Principal Treasurer	-------	04	04
2.	Chief Accountant cum Chief Treasurer	------	07	07
3.	Accountant Cum Treasurer	------	13	13
4.	Assistant Accountant	------	22	22

Provided that-

(i) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation, and

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART-III-RECRUITMENT

Source of recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:

(i) Principal Accountant cum Principal Treasurer:-

By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Chief Accountant cum Chief Treasurer who have completed three years service as such in the Secretariat on the first day of the year of recruitment.

(ii) Chief Accountant cum Chief Treasurer :-

By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Accountant cum Treasurer who have completed five years service as such in the Secretariat on the first day of the year of recruitment.

Provided that if suitable candidates for promotion is not available the field of eligibility may be extended for the purpose of including substantively appointed Accountants cum Treasurers only

(iii) Accountant cum Treasurer :-

By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Assistant Accountant who have completed five years service as such in the Secretariat on the first day of the year of recruitment.

Provided that if suitable candidates for promotion is not available the field of eligibility may be extended for the purpose of including substantively appointed Assistant Accountants only.

(iv) **Assistant Accountant :-**

By direct recruitment , through Public Service Commission.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled castes, Scheduled Tribes and other categories belonging to the state of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

PART-IV-QUALIFICATIONS

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be :
(a) a citizen of India, or
(b) a Tibetan refugee who came over to India before the Ist January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma (Myanmar), Sri Lanka, or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) which the intention of permanently setting in India; or

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the State Government ;

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand;

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond the period of one year shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE:- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary, but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificates being obtained by him or issued in his favour.

Academic qualification

8. A candidate for direct recruitment to the service must possess-

(i) A Bachelor's degree in Commerce of a University established by law in India, with Accountancy or post graduate diploma in Accountancy, or any other qualification recognized equivalent there to by the Government, and

(ii) Knowledge of Hindi written in Devnagri scripts.

Preferential qualification

9. In the matter of direct recruitments, other thing being equal, a candidate will be given preference-
(i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or
(ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps.

Age

10. A candidate for directs recruitment must have obtained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of July, of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission;

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled castes, Scheduled Tribes, other Backward class and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The Appointing Authority shall satisfy itself on this point.

NOTE:- Person dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body, owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

12. A male candidate who have more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service;

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness

13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand- Book, Volume II, Part III;

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART- V- PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

14. The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The vacancies to be filled through the Commission shall be intimated to them.

Procedure for direct recruitment to the post of Assistant Accountant

15. (1)Application for permission to appear in the competitive examination shall be called by the commission in the Proforma notified in the advertisement issued by the Commission.

(2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the Commission.

(3) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6, prepare a list of candidates in order of merit as disclosed by the marks obtained by each candidate at the written examination and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in total than the candidate who obtain more marks in written shall be placed higher in the list. If the candidates also get equal marks in written exam than the candidate senior in age shall be placed higher in the list. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority.

Procedure for recruitment by Promotion to the post of Principal Accountant – cum- Principal Treasurer, Chief Accountant – cum- Chief Treasurer and Accountant - cum- Treasurer

16. (1) Recruitment to the post of Principal Accountant, Chief Accountant and Accountant shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through a Selection Committee Constituted as follows :-

(1) Principal Secretary/ Secretary, Secretariat Administration Department - Chairman

(2) An officer not below the rank of Joint Secretary nominated by Principal Secretary/ Secretary, Personnel - Member

(3) An officer not below the rank of Joint Secretary nominated by Principal Secretary/ Secretary, Secretariat Administration Department - Member

Provided that an Officer not below the Rank of Joint Secretary belonging to scheduled cast or scheduled tribe Nominated by the Appointed Authority. If the Appointing Authority or any Member doesn't belong to Schedule Cast or Schedule Tribe.

(2) The Appointing Authority shall prepare an eligible list according the Uttarakhand (On Posts Outside the Purview of the Public Service Commission) Selection Rules, 2003.

Explanation: - In this rule of sub rule (2):-

(a) "the number of vacancies" means the total number of substantive, temporary or officiating vacancies, existing at the commencement of, or likely to occur during the year of recruitment;

(b) a single eligibility list shall be prepared to cover of types of vacancies

(3) The Appointing Authority shall place before the selection committee the eligibility list of the candidates along with there character rolls and such other record pertaining to them, as may be consider proper and also intimate to it the number of different type of vacancies.

(4) The Selection Committee shall consider the case of candidates on the basis of records, referred to in sub rule (3).

(5) The Selection Committee shall prepare list of selected Candidates arranged in order of seniority and forward the same to the Appointing Authority.

PART-VI-APPOINTMENT,PROBATION,CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

17. (1) Subject to the provision of sub-rule(2) the Appointing Authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15 or 16 as the case may be.

(2) If more than one order of appointment are issue in respect of any one selection a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order or seniority as determined in the selection of, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted.

Probation

18. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of one year.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases, specifying the date up to which the extention is granted;

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, or has otherwise failed to give satisfaction he may be reverted to his substantive post if any and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous services, rendered in an officiating or temporary capacity in a post include in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

19. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period or probation, if :-

(a) his work and conduct are reported to be satisfactory,
(b) his integrity is certified, and
(c) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttarakhand State Government Servants Confirmation Rules, 2002, confirmation is not necessary the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completes the probation shall be deemed to be the order of confirmation

Seniority

20. A seniority of the persons appointed substantively in any category of posts shall be determined in accordance with the provisions Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002, as amended from time to time.

PART-VII- PAY ETC.

Scales of pay

21. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given as follows :-

S.No.	Name of the post	Pay Scale (in rupees)
1.	Assistant Accountant	4500 - 125 - 7000
2.	Accountant cum Treasurer	5500 - 175 - 9000
3.	Chief Accountant cum Chief Treasurer	7450 - 225- 11500
4.	Principal Accountant cum Principal Treasurer	10000 - 325 - 15200

Pay during probation

22. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed after one year service the probationary period and is also confirmed;

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointment Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding the post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules;

Provided that, if the period of probation is the extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the state.

PART-VIII-OTHER PROVISIONS

Canvassing

23. No recommendations, either written or oral other than these required under these rules applicable applicant to the post of service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to onlist support directly or indirectly or his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

24. In regard to matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules. regulations and order applicable generally to government servants serving in connection with the affairs of the state.

Relaxation from the condition of service

25. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the condition of service of persons appointed to the service causes undue hardship is any particular case, it may notwithstanding anything contained in the rule applicable to the case, by order dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subjects to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner;

Provided that where a rule has been framed in consulation with the commission that body shall be consulted before the requirements of that rule are dispensed with or relaxed.

Saving

26. Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of person in accordance with the order of the Government issued from time to time in this regard.

By Order,

M. H. KHAN,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 01 सा० प्रशासन/232–2008–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–74

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 06 मई, 2011 ई0
बैशाख 16, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–3

संख्या 455/XXXI(3)/2011–ले0–40/2008
देहरादून, 06 मई, 2011

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0 आ0–49

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग सेवा नियमावली, 2008 में अग्रेत्तर संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2010

1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

पद नाम परिवर्तन

2. **प्रमुख लेखाकार एवं प्रमुख कोषाध्यक्ष, मुख्य लेखाकार एवं मुख्य कोषाध्यक्ष, लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष तथा सहायक लेखाकार के पदनाम परिवर्तन किया जाना**

2. उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग सेवा नियमावली, 2008 जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, में जहां–जहां प्रमुख लेखाकार एवं प्रमुख कोषाध्यक्ष, मुख्य लेखाकार एवं मुख्य कोषाध्यक्ष, लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष तथा सहायक लेखाकार पदनाम आया है, वहां–वहां क्रमशः अनुसचिव (लेखा), अनुभाग अधिकारी (लेखा), समीक्षा अधिकारी(लेखा) एवं सहायक समीक्षा अधिकारी(लेखा) पढ़ा जायेगा।

नियम 5 के प्रस्तर (एक), (दो),(तीन) एवं (चार) का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम 5 के प्रस्तर (एक),(दो),(तीन) एवं (चार) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये प्रस्तर रख दिये जायेंगे; अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान प्रस्तर	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर
5.(एक) प्रमुख लेखाकार एवं प्रमुख कोषाध्यक्ष–	5. (एक) अनु सचिव (लेखा) –
मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	मौलिक रूप से नियुक्त अनुभाग अधिकारी (लेखा) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
(दो) मुख्य लेखाकार एवं मुख्य कोषाध्यक्ष–	(दो) अनुभाग अधिकारी (लेखा)
मौलिक रूप से नियुक्त लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	मौलिक रूप से नियुक्त समीक्षा अधिकारी (लेखा) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा,

परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पात्रता के क्षेत्र में विस्तार केवल मौलिक रूप से नियुक्त लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष को सम्मिलित करने के लिए किया जा सकता है।	परन्तु, यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पात्रता के क्षेत्र में विस्तार केवल मौलिक रूप से नियुक्त समीक्षा अधिकारी (लेखा) को सम्मिलित करने के लिए किया जा सकता है।
(तीन)लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष–	(तीन) समीक्षा अधिकारी (लेखा)
मौलिक रूप से नियुक्त सहायक लेखाकारों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	(1) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से (2) 50 प्रतिशत ऐसे सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) पदधारकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से, विभागीय चयन समिति द्वारा अनुषयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा,
परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पात्रता के क्षेत्र में विस्तार केवल मौलिक रूप से नियुक्त सहायक लेखाकारों को सम्मिलित करने के लिए किया जा सकता है।	परन्तु, यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पात्रता के क्षेत्र में विस्तार केवल मौलिक रूप से नियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) को सम्मिलित करने के लिये किया जा सकता है।
(चार) सहायक लेखाकार	(चार) सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा)
आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	शतप्रतिशत सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से ।

नियम 8 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
शैक्षिक योग्यता 8. सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्न अर्हताए होनी आवश्यक है:–	शैक्षिक योग्यता 8. सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक है:–

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखा कर्म में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता और,	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0काम एकाउन्टेन्सी के साथ स्नातक उपाधि एवं कम्प्यूटर संचालन में अनुभव का 'ओ' लेबल का प्रमाण–पत्र।
(दो) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का ज्ञान	(दो) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का ज्ञान

नियम 16 के केवाद उपनियम (6) का जोडा जाना

5. उपनियम (5) मूल नियमावली के नियम 16 उपनियम (5) के वाद उपनियम (6) निम्नवत जोड़ दिया जायेगा; अर्थात–

16.(6) **संयुक्त चयन सूची** यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायं तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी का होगा।

नियम 17 का प्रतिस्थापन

6. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ –1 में दिये गये वर्तमान नियम 17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ –1 में स्तम्भ–1	दिये गये वर्तमान नियम 17 के स्थान पर स्तम्भ–2
(वर्तमान नियम)	(एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
नियुक्ति 17.	नियुक्ति 17.
(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थित, नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।	(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थित, नियम 15, 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किए जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठताकम में किया जाएगा, जैसी कि यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जाय।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 16 उपनियम (6) के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किए जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठताकम में किया जाएगा, जैसी कि यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायं तो नामों को नियम 16 उपनियम (6) में निर्दिष्ट कम के अनुसार रखा जायेगा।

नियय 21 के उपनियम (2) का संशोधन

7. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 21 के उप नियम (2)के स्थान पर स्तम्भ– 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैं:–

	स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)		स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिपादित नियम)		
क0 सं0	पदनाम	वेतनमान (रूपये में)	क0 सं0	पदनाम	वेतनमान (ग्रेड पे सहित) रुपये में।
1.	सहायक लेखाकार	4500–125–7000	1.	सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा)	5200–20200+2800
2.	लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष	5500–175–9000	2.	समीक्षा अधिकारी (लेखा)	9300–34800+4200
3.	मुख्य लेखाकार एवं मुख्य कोषाध्यक्ष	7450–225–11500	3.	अनुभाग अधिकारी (लेखा)	9300–34800+4800
4.	प्रमुख लेखाकार एवं प्रमुख कोषाध्यक्ष	10000–325–15200	4.	अनु सचिव (लेखा)	15600–39100+6600

नियम 22 का प्रतिस्थापन

8. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ –1 में दिये गये वर्तमान नियम 22 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिपादित नियम)
22. (1) **परिवीक्षा अवधि में वेतन–** मूल नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि एक वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जाये जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी कर दिया गया हो;	22.(1) **परिवीक्षा अवधि में वेतन–** मूल नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि एक वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी कर दिया गया हो;
परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्त प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।	परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।
	परन्तु यह और कि समीक्षा अधिकारी (लेखा) के पद पर नियुक्ति किसी व्यक्ति की प्रथम वेतनवृद्धि तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में 4000 की डिप्रेशन (4000 Key Depressions) प्रति घण्टा की न्यूनतम गति प्राप्त करने संबंधी परीक्षा पास न कर ली हो।
(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत मूल नियम द्वारा विनियमित होगा;	(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत मूल नियम द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत् सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत् सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

आज्ञा से,

डा0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 455/XXXI(3)/2011-Le-40/2008, dated May 06, 2011 for general information :

No. 455/XXXI(3)/2011-Le-40/2008
Dated Dehradun, May 06, 2011

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Secretariat Accounts Cadre Service Rules, 2008.

Uttarakhand Secretariat Accounts Cadre Service (Amendment) Rules, 2010:-

Short title and commencements

1.(1)These rules may be called Cadre Uttarakhand Secretariat Accounts Cadre (Amendment)Service rules 2010,
2.They shall come into force at once.

Alteration of designation

2- Alteration of designations Principal Accountant and Principal Treasurer, Chief Accountant and Chief Treasurer, Accountant and Treasurer and Assistant Accountant

2. in the Uttarakhand Secretariat Accounts Cadre Service Rules, 2008 (hereinafter referred to as the principal rules) wherever the designation Principal Accountant and Principal Treasurer, Chief

Accountant and Chief Treasurer, Accountant and Treasurer and Assistant Accountant occurs it shall be read as Under Secretary (Accounts), Section Officer (Accounts), Reviewing Officer (Accounts) and Assistant Reviewing Officer (Accounts)

Amendment of para(i),(ii),(iii) and (iv) of rule 5

3.In the Principal rules for the existing para (i),(ii),(iii) and (iv) of rule 5 set out in Column 1, below, the para set out in Column 2 shall be substituted, as follows, namely:-

Column-1 (Existing para)	Column-2 (Para as hereby substituted)
(i) Principal Accountant-cum-Principal Treasure:-	**(1) Under Secretary (Accounts)**
By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Chief Accountant-cum-Chief Treasurer who have completed three years service as such in the Secretariat on the first day of the year of recruitment.	By promotion, through the Departmental Selection Committee, on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, from amongst the substantively appointed Section Officers (Accounts) who have completed at least three years service, as such, on the first day of the year of recruitment.
(ii) Chief Accountant-cum- Chief Treasurer:-	**(2) Section Officer (Accounts)**
By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Accountant -cum-Treasurer who have completed five years service as such of the Secretariat on the first day of the year of recruitment.	By promotion, through the Departmental Selection Committee on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, from amongst the substantively appointed Reviewing Officers (Accounts) who have completed at least five years service, as such, on the first day of the year of recruitment.
Provided that if a suitable candidate for promotion is not available the field of eligibility may be extended for the purpose of including substantively appointed Accountants- cum- Treasurers only.	Provided that if suitable candidate is not available for promotion, the field of eligibility may be extended for the purpose of including the substantively appointed Reviewing Officers (Accounts) only.
(iii)Accountant-cum-Treasurer	**(3)Reviewing Officer (Accounts)**
By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Assistant	(1) 50 percent by direct recruitment through the Public Service Commission.

Accountant who have completed five years service as such in the Secretariat on the first day of the year of recruitment.	(2) 50 percent by promotion, by the Departmental Selection Committee through the Commission on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, from amongst such Assistant Reviewing Officers (Accounts) who have completed at least five years service, as such, on the first day of the year of recruitment:
Provided that if a suitable candidate for promotion is not available the field of eligibility may be extended for the purpose of including substantively appointed Assistant Accountants only.	Provided that if suitable candidate is not available for promotion, the field of eligibility may be extended for the purpose of including the substantively appointed Assistant Reviewing Officers (Accounts).
(iv) Assistant Accountant:-	**(4) Assistant Reviewing Officer (Accounts)**
By direct recruitment, through Public Service Commission.	100 percent by direct recruitment through the Public Service Commission.

Amendment of rule 8

4. In the Principal Rules, for the existing rules set out in column 1 below, the rule set out in column 2 shall be substituted; namely

Column -1 (Existing rules)	**Column-2 (Rules as hereby substituted)**
8. A candidate for direct recruitment to the service must possess-	**8. Academic qualifications** A candidate for direct recruitment in the Service must possess the following qualifications:-
(i) A Bachelor's degree in Commerce of a University established by law in India, with Accountancy or post graduate diploma in Accountancy, or any other qualification recognized equivalent there to by the Government, and	(i) Bachelors Degree in Commerce with Accountancy from a university established by law in India and experience of computer operations of 'O' level certificate.
(ii) Knowledge of Hindi written in Devnagri script.	(ii) Knowledge of Hindi written in Devnagri script.

Addition of sub rule (6) of rule 16 after sub rule(5)

5. In the principal rules, for exiting sub rule (5) in rule 16 below the sub rule 6 in column 2 shall be added as follow-

16(6) **Combined Select List** If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists, in such manner that prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

Amendment of rule 17

In the principal Rules, for the existing rules-17 set out in column I below, the rules set out in column 2 shall be substituted, namely;

In principal Rules below column-1 (Existing rules)	**Set out in existing rule-17, column-2 (Rules as hereby substituted)**
6.17(1) **Appointment** Subject to the provision of sub-rule(2) the Appointing Authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15 or 16 as the case may be.	17.(1) **Appointment** Subject to the provisions of sub rule (2), the Appointment Authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15 and sub rule (6) of rule 16 as the case may be.
(2) If more than one order of appointment are issue in respect of any one selection a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order or seniority as determined in the selection of, as the case may be, it stood in the cadre from which they are promoted.	(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with sub rule (6) of rule 16.
	(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the order, referred to in sub rule (6) of rule 16.

Amendment of sub rule (2) of rule 21

7. In the Principal Rules, for the existing rules set out in column 1 the rule set out in column 2 shall below, be substituted namely-

(2) The scales of pay at the time of f commencement of these rules are given as follows:-

Column -1 (Existing rules)			Column-2 (Rules as hereby substituted)		
S. N	**Name of the post**	**Pay Scale (in rupees)**	**S. N**	**Designation**	**Pay Scale (including Grade pay) Rs.**
1	Assistant Accountant	4500-125-7000	1	Assistant Reviewing Officer (Accounts)	5200-20200+2800
2	Accountant cum Treasurer	5500-175-9000	2	Reviewing Officer (Accounts)	9300-34800+4200
3	Chief Accountant cum Chief Treasurer	7450-225-11500	3	Section Officer (Accounts)	9300-34800+4800
4	Principal Accountant cum Principal Treasurer	10000-325-15200	4	Under Secretary (Accounts)	15600-39100+6600

Substitution of rule 22

8. In the Principal Rules, for the existing rules set out in column 1 below, the rule set out in column 2 shall be substituted namely-

Column -1 (Existing rules)	Column-2 (Rules as hereby substituted)
22(1) **Pay during probation** Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed after one year service the probationary period and is also confirmed;	**22(1) Pay during probation** Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed the probationary period and is also confirmed:
Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointment Authority directs otherwise.	Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise:

	Provided further that a person appointed to the post of Reviewing Officer (Accounts) shall be allowed his first increment only after he has passed the typing test on computer at the minimum speed of 4000 key depressions per hour.
(2) The pay during probation of a person who was already holding the post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules;	(2)The pay during probation of a person who is already holding a post under the government shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:
Provided that, if the period of probation is the extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.	Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.
(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants in connection with the affairs of the state.	(3) The pay during probation of a person who is already in permanent government service shall be regulated by the relevant rules applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State

By Order,

Dr. RANBIR SINGH,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 सचि0 प्रशा0/222–2011–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–54

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, बुधवार, 19 फरवरी, 2014 ई0
माघ 30, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–3

संख्या 234/XXXI(3)/2011–लेखा–40/2008
देहरादून, 19 फरवरी, 2014

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–01

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड लेखा संवर्ग सेवा नियमावली, 2008 में अग्रेत्तर संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड लेखा संवर्ग सेवा नियमावली, 2008 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 21 के उप नियम (2) में उल्लिखित क्रमांक, पदनाम एवं वेतन क्रम में क्रमांक 5 में निम्नवत प्रविष्टि कर दी जायेगी–

"5. उप सचिव (लेखा) --- 02 02"

नियम 5 का संशोधन

3. मूल नियमावली के नियम 5 के प्रस्तरों को पुनर्संख्याकित करते हुए एक नया प्रस्तर "एक" निम्नवत जोड़ दिया जायेगा–

"(एक) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अनुसचिव (लेखा) जिन्होंने चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को इस रूप में एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।"

नियम 16 का संशोधन

4. मूल नियमावली (यथा संशोधित) के नियम 16 के उप नियम (1) में शब्द "अनुसचिव (लेखा)" से पूर्व शब्द "उप सचिव (लेखा)" जोड़ दिये जायेंगे।

नियम 21 का संशोधन

5. मूल नियमावली के नियम 21 के उप नियम (2) में उल्लिखित क्रमांक, पदनाम एवं वेतन क्रम में क्रमांक 5 में निम्नवत प्रविष्टि कर दी जायेगी–

"5. उप सचिव (लेखा) वेतन बैण्ड–3, 15600–39100 ग्रेड पे रु0 7600"

आज्ञा से,

चन्द्र सिंह नपलच्याल,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 सचि0 प्रशा0/225–2014–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–71

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, सोमवार, 24 जुलाई, 2017 ई0

श्रावण 02, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4

संख्या 991/XXXI(4)/17/84(विविध)/2015

देहरादून, 24 जुलाई, 2017

अधिसूचना/प्रकीर्ण

सा0प0नि0–06

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग सेवा नियमावली, 2008 में अग्रेत्तर संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग सेवा नियमावली, 2008 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम 5 में संयुक्त सचिव (लेखा) के पद पर भर्ती के स्रोत में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात:–

क्र0 सं0	पदनाम	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
		वर्तमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
1	संयुक्त सचिव (लेखा) 02 पद	"मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप सचिव (लेखा) में से ज़िन्होने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को इस रूप में 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, 'ज्येष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा"।	"मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप सचिव (लेखा) में से जिन्होने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को इस रूप में 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, 'श्रेष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा"।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन्,
प्रमुख सचिव।

क्रम संख्या–67 (ग)

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, सोमवार, 17 जुलाई, 2017 ई0

आषाढ़ 26, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4

संख्या 968/XXXI(4)/17/84(विविध)/2015

देहरादून, 17 जुलाई, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–05

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग सेवा नियमावली, 2008 में अग्रेत्तर संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन

(क) उत्तराखण्ड लेखा संवर्ग सेवा नियमावली 2008, (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 3 के खण्ड (क) में शब्द उप सचिव (लेखा) से पूर्व शब्द संयुक्त सचिव (लेखा) के लिए राज्यपाल जोड दिया जायेगा।

नियम 4 का संशोधन

2. मूल नियमावली के नियम 21 उप नियम (2) में निम्नलिखित जोडा जायेगाः–

क0सं0	पदनाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
"6	संयुक्त सचिव (लेखा)	–	02"	02

नियम 5 का संशोधन

मूल नियमावली के नियम 5 के प्रस्तरों को पुनर्संख्यांकित करते हुए एक नया प्रस्तर– "एक" निम्नवत् जोड दिया जायेगा–

नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–5 में निम्नवत् स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

क0सं0	पदनाम	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
		वर्तमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
1	संयुक्त सचिव (लेखा) 02 पद	—	"मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप सचिव (लेखा) में से जिन्होने भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को इस रूप में 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा"।
2	उप सचिव (लेखा) 03 पद	5.(एक) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अनुसचिव (लेखा) जिन्होनें चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को इस रूप में एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।"	5.(एक) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अनुसचिव (लेखा) जिन्होनें चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को इस रूप में एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।"
3	अनु सचिव (लेखा)	**5.(एक)** मौलिक रूप से नियुक्त अनुभाग अधिकारी (लेखा) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप से कम से कम 03 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा	**5.(एक)** ऐसे स्थायी अनुभाग अधिकारियों(लेखा) में से जिन्होनें अनुभाग अधिकारी के रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है) की हो, पदोन्नति द्वारा।
4	अनुभाग अधिकारी (लेखा) /	(दो) मौलिक रूप से नियुक्त समीक्षा अधिकारी (लेखा) में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा,	**(दो)** स्थायी समीक्षा अधिकारी(लेखा) में से जिन्होनें समीक्षा अधिकारी (लेखा) के रूप में कम से कम दस वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है) की हो, पदोन्नति द्वारा।

क्र०सं०	पदनाम	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
		वर्तमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
		परन्तु यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पात्रता के क्षेत्र में विस्तार केवल मौलिक रूप से नियुक्त समीक्षा अधिकारी (लेखा) को सम्मिलित करने के लिए किया जा सकता है।	परन्तु यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो ऐसे स्थायी समीक्षा अधिकारियों (लेखा) को, जिन्होने पांच वर्ष की सेवा जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है, की हो, सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है।
5	समीक्षा अधिकारी (लेखा)/	(तीन) (1) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से (2) 50 प्रतिशत ऐसे सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) पदधारकों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से, विभागीय चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा, परन्तु यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पात्रता के क्षेत्र में विस्तार केवल मौलिक रूप से नियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) को सम्मिलित करने के लिए किया जा सकता है।	(तीन) (एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, (दो)– पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारियों (लेखा) में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा : परन्तु यह कि यदि पर्याप्त संख्या में पात्र या उपयुक्त अभ्यर्थी पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक समीक्षा अधिकारी, (लेखा) जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो, सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकेगा।

नियम 5 का संशोधन

4. संयुक्त सचिव (लेखा) के पद पर पदोन्नति, उत्तरांचल विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए), नियमावली, 2002 के उपबंधों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रकिया नियमावली, 2013 के आधार पर की जायेगी, एक नया प्रस्तर जोड दिया जायेगा।

5. समीक्षा अधिकारी लेखा में चयन का मापदण्ड "आयोग के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा"।

नियम 8 का संशोधन

मूल नियमावली, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–8 (4)के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थातः–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
शैक्षिक योग्यता 8. सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक है:– (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0काम एकाउन्टेसी के साथ स्नातक उपाधि एवं कम्प्यूटर संचालन में अनुभव का 'ओ' लेवल का प्रमाण पत्र। (दो) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का ज्ञान	**शैक्षिक योग्यता 8** सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक है:– (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0काम एकाउन्टेसी के साथ स्नातक उपाधि। (दो) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का ज्ञान। (तीन) कम्प्यूटर संचालन–हिन्दी टाइपिंग में न्यूनतम 4000 की–डिप्रेशन प्रतिघण्टे की गति।

नियम 9 का संशोधन

मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–9 के अन्तर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) तथा समीक्षा अधिकारी (लेखा) की अधिमानी अर्हता में स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
अधिमानी अर्हताएंः– 9 अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसनेः– (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या, (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	अधिमानी अर्हताएंः– 9 अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में चयन प्रकिया के नियम–15 के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसनेः– (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या, (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

नियम 15 का संशोधन

मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–15 में सीधी भर्ती की प्रकिया में स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

सीधी भर्ती की प्रकिया

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती की प्रकियाः–	सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) एवं समीक्षा अधिकारी (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती की प्रकियाः–
15 (1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में अधिसूचित प्रपत्र में अंकित किये जायेंगे।	15(1) आयोग प्रतियोगितात्मक परीक्षा के प्रवेश के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। आवेदन पत्र नियत प्रपत्र में दिये जायेगें।
(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।	(2) आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
(3) शासन द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित पाठ्यक्रम में उल्लिखित विषयों की प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की उनकी योग्यता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी–जितनी वह नियुक्ति के लिये उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त किये हो तो अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।	(3) आयोग प्राप्त आवेदन पत्रों का परिनिरीक्षण करेगा, और ऐसे अभ्यर्थियों को, जो इस नियमावली के अधीन भर्ती के योग्य हो, परीक्षा में प्रवेश देगा। (4) शासन द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित पाठयक्रम पर आधारित लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध किये जाने के पश्चात आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता के कम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंको के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को संस्तुत करेगा, जो इस संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँच सके हो। (5) यदि लिखित परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक हो तो अधिमानी अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा और यदि अधिमानी अर्हता भी समान हो तो अधिक अधिमानी अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। (6) अधिमानी अर्हता के समान होने पर अधिक आयु के अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा और आयु भी समान हो तब सूची के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखे जायेगें। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

नियम 16 का संशोधन

5. मूल नियमावली (यथा संशोधित) के नियम 16 के उप नियम (1) में शब्द "उप सचिव (लेखा)" से पूर्व शब्द "संयुक्त सचिव (लेखा)" जोड दिये जायेंगे।

नियम 18 का संशोधन

6. संयुक्त सचिव (लेखा) के पद की मौलिक रिक्ति मे या उसके प्रतिनियुक्त किये जाने पर छः माह की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

नियम 21 का संशोधन

6. मूल नियमावली (यथा संशोधित) के नियम 21 के उप नियम (2) में उल्लिखित कमांक, पदनाम एवं वेतनकम में कमांक–6 में निम्नवत् प्रविष्टि कर दी जायेगी–

"6. संयुक्त सचिव (लेखा) लेवल–13–रू0 1,18,500–2,14,100

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन्,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 सचि0प्रशा0/426–2017–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।